न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर

पीठासीन अधिकारी :: लाखन सिंह गुर्जर(आर0ए0एस0)

अपील संख्या 12/1
तारीख दायरा 05.01.2021

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र कन्हैया जाति मीना।
2. किरन पुत्री कन्हैया जाति मीना।
3. अनोख पुत्री कन्हैया जाति मीना।
4. इन्द्रा पुत्री कन्हैया जाति मीना।
5. मदन दोहिता कन्हैया जाति मीना।
6. विक्रम दोहिता कन्हैया जाति मीना।
7. सुरेश दोहिता कन्हैया जाति मीना।
8. रेखा दोहिती कन्हैया जाति मीना निवासीयान खुडियाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

...........अपीलान्टान

बनाम

1. तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

.......रेस्पोडेन्ट

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 17.03.2021</u>**

अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट को ग्राम पंचायत खुडियाना के निर्णय दिनांक 20.09.2019 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22.12.2020 को हुई जब अपीलान्टान पटवारी हल्का के पास ऋण लेने की पत्रावली तैयार कराने पहुँचे तब पटवारी हल्का ने बताया कि ईंतकाल संख्या 2605 के जरिये तुम्हारी जाति मीना के स्थान पर कुम्हार दर्ज कर रखी है वो एक खसरा नम्बर 821 जो कन्हैया कुम्हार की आराजी है वो भी तुम्हारे नाम गलत दर्ज हो रही है। तब अपीलान्टान को सर्वप्रथम उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्टान ने दिनांक 23.12.2020 को उक्त ईंतकाल की नकल प्राप्त की तथा आज ही बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत है, देरी दिनांक 20.09.2019 से पेश होने अपील कन्डोन किये जाने वो उक्त अपील को अन्दर अवधि शुमार किये जाने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

संक्षिप्त वाकेयात अपील हाजा इस प्रकार है कि अपीलान्टान एक ही परिवार के व्यक्ति हैं । परिवार का शजरा निम्न प्रकार है—

(लाखन सिंह गुर्जर)

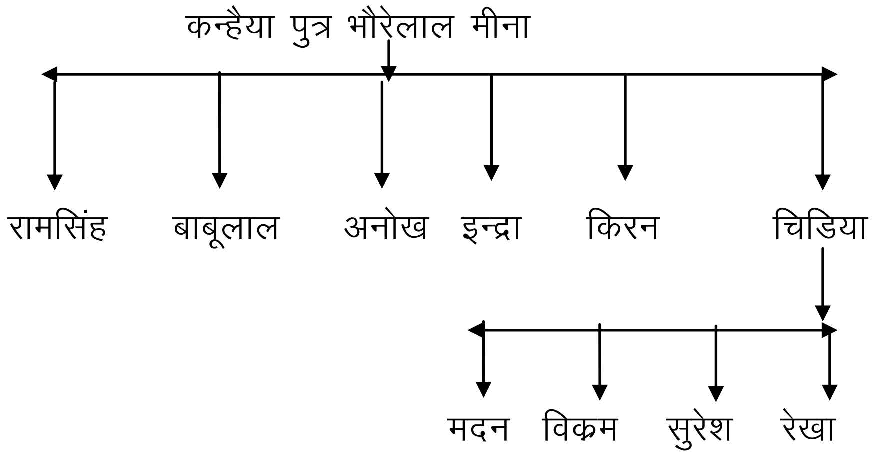

मुताबिक शजरा रामसिंह वो बाबूलाल दोनो खास सगे भाई हैं जिनकी खातेदारी की यह जमीन है, रामसिंह ना औलाद फौत दिनांक 27.08.2016 को हो गया है, जिस रामसिंह के वारिसान मुताबिक शजरा अपीलान्ट हैं तथा अन्य कोई कानूनी वारिसान नहीं हैं लेकिन ईंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने गलती से अपीलान्ट की जाति मीना के स्थान पर कुम्हार दर्ज करदी तथा एक खसरा नम्बर 821 जो रामसिंह कुम्हार की खातेदारी का था को भी गलत रूप से अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दिया तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.09.2019 को मिलान कर दिया वो ग्राम पंचायत खुडियाना द्वारा उक्त ईंतकाल दिनांक 20.09.2019 को बिना जॉच पडताल किये बिना तस्दीक कर दिया जो निर्णय गलत है तथा कानून के खिलाफ है। ईंतकाल तस्दीक से पूर्व अपीलान्ट को सुना जाना जरूरी था, लेकिन बिना हम अपीलान्ट को सुने एकतरफा में हमारी जाति मीना के स्थान पर कुम्हार दर्ज कर दी वो रामसिंह कुम्हार के खसरा नम्बर 821 को भी हम अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जो गलत है जिस कारण हम अपीलान्ट की जाति सही करने वो खसरा नम्बर 821 को हमारी विरास्त में से हटाने हेतु यह अपील श्रीमान् अदालत में प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय ग्राम पंचयत खुडियाना दिनांक 20.09.2019 को निरस्त किया जाकर ईंतकाल संख्या 2605 हम अपीलान्ट के नाम पुनः तस्दीक कराया जावे,वो खसरा नम्बर 821 जो रामसिंह कुम्हार की खातेदारी का है हमारी विरास्त से हटाया जावे।

(लाखन सिंह गुर्जर)

हमने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित , इनके विरूद्व नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टान की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन किया। ईंतकाल संख्या 2605 वाके ग्राम खुडियाना निर्णय दिनांक 20.09.2019 का अमल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 में गलत अंकित किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट ने भी स्वीकार किया है कि आ0ख0नं0 821 वाके ग्राम खुडियाना का अमल रामसिंह कुम्हार की खातेदारी की बजाय बाबूलाल पुत्र कन्हैया वगै0 की खातेदारी में अमल कर दिया गया है। अतः हमारी विनम्र राय में अपील अपीलान्टान स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत खुडियाना पंचायत समिति लक्ष्मणगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 बाबत् इंतकाल संख्या 2605 वाके ग्राम खुडियाना तहसील लक्ष्मणगढ को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई कर विधिसंवत् आराजी की जॉच कर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर,दफ्तर दाखिल हो।

आज दिनांक 17.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ अलवर